पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 172/2024 दिनांक- 30.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना निजामाबाद

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 24.05.2024 को वादी मुकदमा की लड़की को अभियुक्त रामलाल पुत्र मितई निवासी मिर्जापुर(गोझवा) थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बहला फुसला कर भगा ले गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 242/24 धारा 363/366 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 26.05.2024 को अपहृता को बरामद किया गया तथा पीड़िता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 376 IPC व 5M/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 30.05.2024 को व0उ0नि0 रंजय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामलाल पुत्र मितई निवासी ग्राम हजारेमलपुर थाना निजामाबाद आजगमढ उम्र करीब 22 वर्ष को सेन्टरवा मोड से समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान कर मा0 न्यायालय / जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- रामलाल पुत्र मितई निवासी ग्राम हजारेमलपुर थाना निजामाबाद आजगमढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 242/24 धारा 363/366/376 IPC व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजगमढ़।

आपराधिक इतिहासः- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 रंजय सिंह, का0 रुपेश पासवान थाना निजामाबाद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 28.05.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी सोनू पुत्र दीनानाथ निवासी मु0 रहमत नगर पानी की टंकी के पास भाड़े पर रहता है जिसने वादिनी के साथ 2 वर्षो तक दुष्कर्म किया तथा मना करने पर जान मारने की धमकी देता है। वादिनी के गर्भवती होने पर वादिनी और उसके माता-पिता को भी जान मारने की धमकी दे रहे है । जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 327/24 धारा 376/506 भादवि0 5 /6 पाक्सो एक्ट दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 30.05.2024 को नि0अ0 रफी आलम, उ0नि0 रामलखन सोनकर, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पुनीत उर्फ सोनू पुत्र दीनानाथ निवासी कस्बा व थाना कपसेटी जनपद वाराणसी को अग्रसेन चौराहे से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- पुनीत उर्फ सोनू पुत्र दीनानाथ निवासी कस्बा व थाना कपसेटी जनपद वाराणसी उम्र 34 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 327/24 धारा 376/506 भादवि 5 /6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– नि0अ0 रफी आलम, उ0नि0 रामलखन सोनकर थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना जीयनपुर

पुलिस ने अपहृत किशोरी को 24 घण्टे के अन्दर किया बरामद

पूर्व की घटना–

दिनांक 29.05.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 28.05.2024 की दोपहर 12.00 बजे वादिनी की पुत्री बिना किसी से बताये कही चली गयी है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 248/2024 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सुभाष तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

बरामदगी का विवरण–

दिनांक- 29/05/2024 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता को वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर उसके ननिहाल ग्राम ठाकुरगांव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ से बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0स0 248/2024 धारा 363 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

बरामदगी करने वाली टीम- उ0नि0 सुभाष तिवारी, का0 सत्येन्द्र सिंह, म0का0 ममता सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 20.05.2024 को वादी उमेश चौहान पुत्र स्व0 साहबदीन चौहान ग्रा0 नागमलपुर पोस्ट सिहपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दिया कि मेरा भांजा अभिषेक चौहान पुत्र रामसरोज निवासी ग्राम सोनपार पोस्ट बिन्द मठिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ का निवासी था जिनकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी जिसका मोबाईल नं0 6353xxxxxx दूसरा नं0 अज्ञात है जो कि बचपन से ही हमारे घर पर रहकर पढाई लिखाई का कार्य करते थे आज दिनांक 20-05-24 दिन सोमवार को गाँव के अपने दोस्तो के साथ क्रिकेट खेलने के बाद घर पर लगभग 8.30 बजे सुबह घर पर आया फिर घर से लगभग 11.00 बजे दिन मे घर से दोस्तो के साथ सिंहपुर बाजार के लिये कहकर निकला फिर पुनः लगभग 02.00 बजे दिन मे घर वापस आया लगभग 3.00 बजे दिन मे किसी का फोन आया और वह फोन से बात करते हुए घर से बिना बताये निकला लगभग 6.00 बजे शाम को सूचना मिली की लोनी नदी के किनारे बबूल के पेड के पास कृपा चौहान के खेत मे एक लाश पडी है जिसे मेरे द्वारा पहचान किया गया कि यह लाश मेरे भाँजे अभिषेक चौहान पुत्र रामसरोज चौहान की है उसके गले मे उसी के गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी गयी है गमछा उसके गले मे कसा पाया गया हमे पूर्ण आशंका है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियो द्वारा सुनियोजित तरीके से हत्या करके लाश फेकी गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 194/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 30.05.2024 को प्र0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.श्रीमती रानी चौहान पत्नी हरिवंश चौहान, 2.हरिवंश चौहान पुत्र रामहरख चौहान निवासीगण नागमलपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को थाना स्थानीय पर पूछताछ हेतु बुलाया गया था जिनको बाद पूछताछ घटना में शामिल होना पाकर समय 09.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के मोबाइल फोन को बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 194/24 धारा 302 भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.श्रीमती रानी चौहान पत्नी हरिवंश चौहान,

2.हरिवंश चौहान पुत्र रामहरख चौहान निवासीगण नागमलपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः- एक अदद मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम प्र0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह म0उ0नि0 रानी साहू हे0का0 भैय्यालाल यादव, का0 हिमांशु गिरी व का0 वसीम अकरम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 30.05.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि ग्राम जगजीवनपुर का रहने वाला जिलाबदर अपराधी संजय सिंह पुत्र श्रीचन्द सिंह जो जिलाबदर होने के बाद भी गाँव घर में छिप कर रहता है और वर्तमान समय में अपने घर पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है । इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम संजय सिंह पुत्र श्रीचन्द सिंह निवासी जगजीवनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 40वर्ष बताया । उक्त व्यक्ति संजय सिंह को श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट)भू-राजस्व (के आदेश दिनांक06 .05.24 के अनुसार अन्तर्गत धारा 3 (1) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 के तहत जिलाबदर 06 माह हेतु किया गया है आदेश की तामीला के बावजूद गाँव घर में रहने के बाबत पूछने पर गलती की माफी मांगने लगा। अभियुक्त संजय सिंह का कृत्य अन्तर्गत धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का दण्डनीय अपराध बताकर उपरोक्त संजय सिंह को बजाफ्ता बकायदा अन्तर्गत धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम के समय 08.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यावाही अमल मे लायी जा रही है ।

जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता

1. संजय सिंह पुत्र श्रीचन्द सिंह निवासी जगजीवनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 188/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 188/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 30/2017 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 431/2023 धारा 352, 427, 504, 506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 380/2023 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः- थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह बिलरियागंज आजमगढ़ ।

थाना- कन्धरापुर

04 अपराधियों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

➡दिनांक-03.05.2023 को आवेदक राजेश यादव पुत्र श्री रामरूप यादव सा0 आजमपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ ने थाना कंधरापुर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 2/3.5.2023 की रात्रि लगभग 1-1/2 से 2.00 बजे वादी की भैंस स्कार्पियों मे लादकर चोरी से ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0-101/2023 धारा 379 भादवि बनाम 1.सलीम पुत्र स्व0 अकरम सा0 देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ 2. तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया। बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग मे विवेचक द्वारा धारा 411/420 /467/468/471 भादवि की बढोत्तरी की गई।

➡मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त 1.टेनी उर्फ सरताज 2.गोरख उर्फ बुल्ला 3.महताब उर्फ शिब्बू का नाम प्रकाश मे आया। बरामदगी व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्तगण 1. सलीम पुत्र स्व0 अकरम सा0 देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ 2. टेनी उर्फ सरताज पुत्र गुड्डू उर्फ आबिद निवासी कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद 3. गोरख उर्फ बुल्ला पुत्र बीरा निवासी कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ व 4.महताब उर्फ शिब्बू पुत्र स्व0 मुख्तार निवासीगण जीयनपुर कस्बा थाना जीयनपुर आजमगढ के विरूद्ध जुर्म धारा-379/411/420/467/468/471 भादवि में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

➡उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा दिनांक 13.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व नोडल अधिकारी गैंगचार्ट/अपर पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद आजमगढ़ के संयुक्त बैठक में विचार विमर्श के दौरान अनुमोदन किया जा चुका है। गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 30.05.24 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 154/2024 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी है।

थाना- कोतवाली

साइबर फ्राड के 01 लाख 55 हजार रूपये वापस कराया

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक- 25.09.2024 को वादी फहद आसिम अहमद पुत्र मकबूल अहमद साकिन जामा मस्जिद आसिफगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत प्रतिवादीगण द्वारा टेलीग्राम पर वी0आई0पी0 259 मर्चेन्ट ग्रुप के माध्यम से मिशन पूरा करने के नाम पर धोखाधड़ी करके आगन्तुक उपरोक्त के खाता सं0-302802001xxxxxxx यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तकिया से रू0 दो लाख अस्सी हजार रूपये आनलाईन ट्रांसफर करा लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-551/23 धारा 420 भादवि व 66D आईटी एक्ट, दिनांक घटना 25.9.23 को पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण–

दिनांक- 27.05.2024 नि0अ0 रफी आलम व हे0कां0 ओ.पी. जायसवाल (साईबर सेल आजमगढ़) की संयुक्त टीम द्वारा पीड़ित फहद आसिम अहमद पुत्र मकबूल अहमद साकिन जामा मस्जिद आसिफगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के फ्राड हुए 01 लाख 55 हजार रूपये वापस कराया गया।